DR. NIRAJ KUMAR
Ph.D. (Political Science)
Patna University, Patna
Mobile No.9470087121
E-mail Id: niraj287@gmail.com

E-CONTENT

FUNDAMENTAL RIGHTS
PART III, Article 12 to article 35 of the Indian Constitution
भारत का मैग्नाकार्टा

Fundamental rights are those rights which are essential for intellectual, moral and spiritual development of individuals. These are enshrined in Part III (Articles 12 to 35) of the Constitution of India.

Seven fundamental rights were originally provided by the Constitution.

1) Right to Equality : Article 14 to Article 18
2) Right to Freedom :- Article 19 to Article 22
3) right against exploitation:- Article 23 & Article 24
4) Right to freedom of Religion:- Article 25 to Article 28
5) Cultural and Educational Right:- Article 29 & Article 30
6) **Right to Property :- Article 31 (Right to property was**

मौलिक अधिकार
भाग III,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35
भारत का मैग्नाकार्टा

मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्तियों के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। ये भारत के संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) में निहित हैं।

मूल रूप से सात मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए गए थे।

1) समानता का अधिकार: अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18
2) स्वतंत्रता का अधिकार: - अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22
3) शोषण के खिलाफ अधिकार: - अनुच्छेद 23
4) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार: - अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28
5) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार: -

removed from Part III of the Constitution by the 44th Amendment in 1978.)

7) Right to Constitutional Remedies :- Article 32

The purpose of the Fundamental Rights is to preserve individual liberty and democratic principles based on equality of all members of society. Dr Ambedkar said that the responsibility of the legislature is not just to provide fundamental rights but also and rather, more importantly, to safeguard them.

Certain Fundamental Rights including those under Articles 14, 20, 21, 25 – apply to persons of any nationality upon Indian soil, while others – such as those under Articles 15, 16, 19, 30 are applicable only to citizens of India.

Right to Equality (Article 14 to Article 18)

The right to equality includes equality before the law, the prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, gender or place of birth, equality of opportunity in matters of employment, the abolition of untouchability and abolition of titles. The Right to Equality is one of the chief guarantees of the Constitution. It is embodied in Articles 14-18. It is the principal foundation of all other rights and liberties and guarantees the following:

अनुच्छेद 29

6) **संपत्ति का अधिकार: - अनुच्छेद 31 (1978 में 44 वें संशोधन द्वारा संविधान के भाग III से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था)**

7) संवैधानिक उपचार का अधिकार: - अनुच्छेद 32

मौलिक अधिकारों का उद्देश्य समाज के सभी सदस्यों की समानता के आधार पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को संरक्षित करना है। डॉ अंबेडकर ने कहा कि विधायिका की जिम्मेदारी सिर्फ मौलिक अधिकारों को प्रदान करना नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित रखने के लिए भी और अधिक महत्वपूर्ण है।

अनुच्छेद 14, 20, 21, 25 के तहत उन लोगों सहित कुछ मौलिक अधिकार भारतीय भूमि पर किसी भी राष्ट्रीयता के व्यक्तियों पर लागू होते हैं, जबकि अन्य - जैसे कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 30 के तहत केवल भारत के नागरिकों के लिए लागू होते हैं।

समानता का अधिकार

(अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18)

समानता के अधिकार में कानून के समक्ष समानता, धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और शीर्षकों का उन्मूलन शामिल हैं। समानता का अधिकार संविधान की प्रमुख गारंटियों में से

Article 14 : (Equality before the law) - It guarantees that all people shall be equally protected by the laws of the country. It means that the State will treat people in the same circumstances alike. This article also means that individuals, whether citizens of India or otherwise shall be treated differently if the circumstances are different.

Article 15 : (Social equality and equal access to public areas): No citizen of India shall be discriminated on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth. This right can be enforced against the State as well as private individuals, with regard to free access to places of public entertainment or places of public resort maintained partly or wholly out of State funds. However, the State is not precluded from making special provisions for women and children or any socially and educationally backward classes of citizens, including the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This exception has been provided since the classes of people mentioned therein are considered deprived and in need of special protection.

Article-16: (Equality of Opportunity):- The State cannot discriminate against citizen in the matters of employment. All citizens can apply for government jobs, however, there are some exceptions. The

एक है। यह लेख 14-18 में सन्निहित है। यह अन्य सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का प्रमुख आधार है और निम्नलिखित की गारंटी देता है:

अनुच्छेद 14: (कानून के समक्ष समानता) – यह गारंटी देता है कि सभी लोगों को देश के कानूनों द्वारा समान रूप से संरक्षित किया जाएगा। इसका मतलब है कि राज्य समान परिस्थितियों में लोगों के साथ व्यवहार करेगा। इस लेख का अर्थ यह भी है कि यदि भारत के नागरिक अलग-अलग हैं या नहीं तो परिस्थितियों को अलग-अलग माना जाएगा।

अनुच्छेद 15: (सार्वजनिक क्षेत्रों में सामाजिक समानता और समान पहुंच): भारत के किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अधिकार राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के लिए भी लागू किया जा सकता है, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों या सार्वजनिक रिसॉर्ट के स्थानों तक मुफ्त पहुंच के संबंध में या आंशिक रूप से राज्य के धन से पूरी तरह से बाहर रखा गया है।हालांकि, राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से इनकार नहीं किया गया है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। यह अपवाद प्रदान किया गया है क्योंकि इसमें

Parliament may enact a law stating that certain jobs can be filled only by applicants who are domiciled in the area. This may be meant for posts that require knowledge of the locality and language of the area. The State may also reserve posts for members of backward classes, scheduled castes or scheduled tribes which are not adequately represented in the services under the State to bring up the weaker sections of the society.

Article 17: (Abolition of untouchability) It abolishes the practice of untouchability. The practice of untouchability is an offence and anyone doing so is punishable by law. The *Untouchability Offences Act* of 1955 (renamed to *Protection of Civil Rights Act* in 1976) provided penalties for preventing a person from entering a place of worship or from taking water from a tank or well.

Article 18 : (Abolition of Titles) : The constitution prohibits the State from conferring any titles. "Citizens of India cannot accept titles from a foreign State. The British government had created an aristocratic class known as *Rai Bahadurs* and *Khan Bahadurs* in India – these titles were also abolished. However, Military and academic distinctions can be conferred on the citizens of India. The

उल्लेखित लोगों के वर्ग को वंचित माना जाता है और विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है।

अनुच्छेद 16: (अवसर की समानता) : – राज्य रोजगार के मामलों में नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। सभी नागरिक सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, हालांकि, कुछ अपवाद हैं। संसद एक कानून लागू कर सकती है जिसमें कहा गया है कि कुछ नौकरियों को केवल उन आवेदकों द्वारा भरा जा सकता है जो क्षेत्र में अधिवासित हैं। यह उन पदों के लिए हो सकता है, जिन्हें इलाके की भाषा और भाषा के ज्ञान की आवश्यकता होती है। राज्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए पदों को आरक्षित कर सकता है, जो समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर लाने के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

अनुच्छेद 17: (अस्पृश्यता का उन्मूलन) यह अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है। छुआछूत की प्रथा एक अपराध है और ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा दंडनीय है। 1955 का अस्पृश्यता अपराध अधिनियम (1976 में नागरिक सुरक्षा कानून का नाम बदला) ने किसी व्यक्ति को पूजा स्थल में प्रवेश करने या टैंक या कुएं से पानी लेने से रोकने के लिए दंड प्रदान किया।

अनुच्छेद 18: (उपाधियों का उन्मूलन) : संविधान राज्य को किसी भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है। "भारत के नागरिक एक

awards of *Bharat Ratna* and *Padma Vibhushan* cannot be used by the recipient as a title and do not, accordingly, come within the constitutional prohibition".[13] The Supreme Court, on 15 December 1995, upheld the validity of such awards.

Right to Freedom

(Art-19 & Art-22)

The Constitution of India contains the right to freedom, given in articles 19, 20, 21A, and 22, and with the view of guaranteeing individual rights that were considered vital by the framers of the constitution. It is a cluster of four main laws. The right to freedom in Article 19 guarantees the following six freedoms: all people have the right to go anywhere in their country.

Article 19 guarantees six freedoms in the nature of civil rights, which are available only to citizens of India.These include the

FREEDOM OF SPEECH AND EXPRESSION,

FREEDOM OF ASSEMBLY WITHOUT ARMS,

FREEDOM OF ASSOCIATION,

FREEDOM OF MOVEMENT THROUGHOUT THE TERRITORY OF OUR COUNTRY,

FREEDOM TO RESIDE AND SETTLE

विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते। ब्रिटिश सरकार ने भारत में राय बहादुर और खान बहादुर के रूप में जाना जाने वाला एक अभिजात वर्ग बनाया था - इन शीर्षकों को भी समाप्त कर दिया गया था। हालांकि, भारत के नागरिकों पर सैन्य औरशैक्षणिक अंतर को सम्मानित किया जा सकता है। भारत रत्न और पद्म विभूषण के पुरस्कार प्राप्तकर्ता द्वारा शीर्षक के रूप में उपयोग नहीं किए जा सकते हैं और तदनुसार, संवैधानिक निषेध के दायरे में नहीं आते हैं। [१३] १५ दिसंबर १ ९९ ५ को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे पुरस्कारों की वैधता को बरकरार रखा।

स्वतंत्रता का अधिकार

(अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22)

भारत के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19, 20, 21 ए और 22 में दिया गया है, और व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देने की दृष्टि से, जिन्हें संविधान के निर्माताओं द्वारा महत्वपूर्ण माना गया था। यह चार मुख्य कानूनों का एक समूह है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित छह स्वतंत्रता की गारंटी देता है: सभी लोगों को अपने देश में कहीं भी जाने का अधिकार है।

अनुच्छेद 19 नागरिक अधिकारों की प्रकृति में

IN ANY PART OF THE COUNTRY OF INDIA and

THE FREEDOM TO PRACTICE ANY PROFESSION.

All these freedoms are subject to reasonable restrictions that may be imposed on them by the State, listed under Article 19 itself. The grounds for imposing these restrictions vary according to the freedom sought to be restricted and include national security, public order, decency and morality, contempt of court, incitement to offences a&defamation. The State is also empowered, in the interests of the general public to nationalize any trade, industry or service to the exclusion of the citizens.

FREEDOM OF SPEECH AND EXPRESSION

Freedom of speech and expression, on which the State can impose reasonable restrictions in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence.

- FREEDOM OF ASSEMBLY WITHOUT ARMS

Freedom to assemble peacefully without arms on which the State can impose reasonable restrictions in the interest of

छह स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। इसमें शामिल हैं

- **वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता**
- **शांतिपुर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता,**
- **संघ की स्वतंत्रता,**
- **भारत के राज्यक्षेत्र मे सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता,**
- **भारत के देश के किसी भी हिस्से में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता**
- **किसी भी वृत्ति, उपजीविका या कारबार करने के लिए स्वतंत्रता।**

ये सभी स्वतंत्रताएं उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं जो राज्य द्वारा उन पर लगाए जा सकते हैं, जो अनुच्छेद 19 के तहत सूचीबद्ध हैं। इन प्रतिबंधों को लगाने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की स्वतंत्रता के अनुसार अलग-अलग हैं और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, अदालत की अवमानना, अपराधों के लिए उकसाना शामिल हैंनागरिकों के बहिष्कार के लिए किसी भी व्यापार, उद्योग या सेवा का राष्ट्रीयकरण करने के लिए आम जनता के हितों में, राज्य भी सशक्त है।

वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिस पर राज्य भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था,

public order and the sovereignty and integrity of India.

- FREEDOM OF ASSOCIATION

Freedom to form associations or unions or co-operative societies on which the State can impose reasonable restrictions in the interest of public order, morality and the sovereignty and integrity of India.

FREEDOM OF MOVEMENT THROUGHOUT THE TERRITORY OF OUR COUNTRY

Citizens have the freedom to move freely throughout India, although reasonable restrictions can be imposed on this right in the public's interest. For example, to control an epidemic, restrictions on movement and travel can be imposed.

FREEDOM TO RESIDE AND SETTLE IN ANY PART OF THE COUNTRY OF INDIA

Freedom to reside and settle in any part of the territory of India, subject to reasonable restrictions by the State in the interest of the general public or for the protection of the scheduled tribes because certain safeguards as are envisaged here seem to be justified to protect indigenous and tribal peoples from exploitation and coercion.

- THE FREEDOM TO PRACTICE ANY PROFESSION

Freedom to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. But the state may impose

शालीनता या नैतिकता या न्यायालय की अवमानना के संबंध में उचित प्रतिबंध लगा सकता है।, मानहानि या अपराध के लिए उकसाना।

शांतिपुर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता

हथियारों के बिना शांति से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, जिस पर राज्य सार्वजनिक आदेश और भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकता है।

संघ की स्वतंत्रता

संघों या यूनियनों या सहकारी समितियों के गठन की स्वतंत्रता, जिस पर राज्य सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं।

भारत के राज्यक्षेत्र मे सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता

नागरिकों को पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता है, हालांकि जनता के हित में इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक महामारी को नियंत्रित करने के लिए, आंदोलन और यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

भारत के देश के किसी भी हिस्से में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता

भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निवास

reasonable restrictions in the public's interest through statute. Thus, there is no right to carry on a business which is dangerous or immoral. Also, professional or technical qualifications may be prescribed for practising any profession or carrying on any trade.

Article 20 gives protection in respect of conviction for offences.

Article 21 gives the right to life, personal liberty and the right to die with dignity (passive euthanasia).

Article 21A gives free education to all children of the age of six to fourteen years such manner as the State may, by law, determine.

Article 22: Protection against arrest and detention in certain cases.

The constitution also imposes restrictions on these rights. The government restricts these freedoms in the interest of the independence, sovereignty and integrity of India. In the interest of morality and public order, the government can also impose restrictions. However, the right to life and personal liberty cannot be suspended. The six freedoms are also automatically suspended or have restrictions imposed on them during a state of emergency.

करने और बसने की स्वतंत्रता, आम जनता के हित में या अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए राज्य द्वारा उचित प्रतिबंधों के अधीन है क्योंकि कुछ सुरक्षा उपायों की परिकल्पना यहाँ की गई है जो रक्षा के लिए न्यायसंगत प्रतीत होती हैं स्वदेशी और आदिवासी लोगों के शोषण और जबरदस्ती से।

किसी भी वृत्ति, उपजीविका या कारबार करने के लिए स्वतंत्रता

किसी पेशे का अभ्यास करने या किसी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता। लेकिन राज्य कानून के माध्यम से जनता के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। इस प्रकार, ऐसे व्यवसाय पर ले जाने का कोई अधिकार नहीं है जो खतरनाक या अनैतिक हो। इसके अलावा, पेशेवर या तकनीकी योग्यता किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यापार को करने के लिए निर्धारित की जा सकती है।

अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा देता है।

अनुच्छेद 21 जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा (निष्क्रिय इच्छामृत्यु) के साथ मरने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 21 ए छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है, जैसे कि कानून द्वारा, निर्धारित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 22: कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण।

Courts in India have mandated that some of these rights are applicable to non-human entitles which have been given the status of the "legal person" and humans have the legal duty to act as "loco parentis" towards animals welfare like a parent has towards the minor children (Punjab and Haryana High Court in 2018 cow-smuggling case), a deity as a legal person is entitled to the rights (Supreme Court in 2018 entry of women to Sabarimala granted Lord Ayyappan right to privacy), rivers are legal person (Uttarakhand High Court mandated that the river Ganges and Yamunahave right to be protected against pollution caused by humans).

Right to information (RTI)

Right to information has been given the status of a fundamental right under Article 19(1) of the Constitution in 2005. Article 19 (1) under which every citizen has freedom of speech and expression and the right to know how the government works, what roles it plays, what are its functions, and so on.

Right against exploitation

(Art-23 & Art-24)

The Right against Exploitation, contained in Articles 23-24, lays down certain provisions to prevent

संविधान इन अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगाता है। सरकार इन स्वतंत्रताओं को भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता और अखंडता के हित में प्रतिबंधित करती है। नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में, सरकार प्रतिबंध भी लगा सकती है। हालांकि, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। छह स्वतंत्रताएं भी स्वचालित रूप से निलंबित हैं या आपातकाल के दौरान उन पर लगाए गए प्रतिबंध हैं।

भारत में न्यायालयों ने आदेश दिया है कि इनमें से कुछ अधिकार गैर-मानव अधिकारों पर लागू होते हैं जिन्हें "कानूनी व्यक्ति" का दर्जा दिया गया है और मनुष्यों का कानूनी कर्तव्य है कि वे "लोको पेरेंटिस" के रूप में कार्य करें, जैसे कि माता-पिता के लिए कल्याणकारी है। नाबालिग बच्चे (2018 के गौ-तस्करी मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय), एक कानूनी व्यक्ति के रूप में एक देवता अधिकारों के हकदार हैं (2018 में सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट ने भगवान अय्यप्पन को निजता का अधिकार दिया)। नदियाँ कानूनी व्यक्ति हैं (उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि गंगा और यमुना नदी को मनुष्यों के कारण होने वाले प्रदूषण से बचाने का अधिकार है)।

सूचना का अधिकार (RTI)

2005 में संविधान के अनुच्छेद 19 (1)

exploitation of the weaker sections of the society by individuals or the State.

Article 23 prohibits human trafficking, making it an offence punishable by law, and also prohibits forced labour or any act of compelling a person to work without wages where he was legally entitled not to work or to receive remuneration for it. However, it permits the State to impose compulsory service for public purposes, including conscription and community service. The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976, has been enacted by Parliament to give effect to this Article.

Article 24 prohibits the employment of children below the age of 14 years in factories, mines and other hazardous jobs. Parliament has enacted the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, providing regulations for the abolition of, and penalties for employing, child labour, as well as provisions for rehabilitation of former child laborers.

Right to freedom of religion

(Art-25 & Art-28)

Right to freedom of religion, covered in Articles 25, 26, 27 and 28, provides religious freedom to all citizens of India. The objective of this right is to sustain the

के तहत सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 19 (1) जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे काम करती है, क्या यह भूमिका निभाता है, इसके कार्य क्या हैं, इत्यादि।

शोषण के खिलाफ अधिकार

(अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22)

शोषण के खिलाफ अधिकार, अनुच्छेद 23-24 में निहित है, व्यक्तियों या राज्य द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने के लिए कुछ प्रावधानों का पालन करता है।

अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पर रोक लगाता है, इसे कानून द्वारा दंडनीय अपराध बनाता है, और किसी व्यक्ति को बिना मजदूरी के काम करने के लिए मजबूर श्रम या किसी भी कार्य को प्रतिबंधित करता है जहां वह कानूनी रूप से काम नहीं करने या इसके लिए पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार था।हालांकि, यह राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा प्रदान करने की अनुमति देता है, जिसमें विपक्ष और सामुदायिक सेवा शामिल है। इस अनुच्छेद को प्रभावी करने के लिए संसद द्वारा बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 लागू किया गया है।

अनुच्छेद 24 कारखानों, खानों और अन्य खतरनाक नौकरियों में 14 वर्ष से कम उम्र के

principle of secularism in India. According to the Constitution, all religions are equal before the State and no religion shall be given preference over the other. Citizens are free to preach, practice and propagate any religion of their choice.

Article 25 guarantees all persons the freedom of conscience and the right to preach, practice and propagate any religion of their choice. This right is, however, subject to public order, morality and health, and the power of the State to take measures for social welfare and reform. The right to propagate, however, does not include the right to convert another individual, since it would amount to an infringement of the other's right to freedom of conscience. **Article 26** guarantees all religious denominations and sects, subject to public order, morality and health, to manage their own affairs in matters of religion, set up institutions of their own for charitable or religious purposes, and own, acquire and manage a property in accordance with law. These provisions do not derogate from the State's power to acquire property belonging to a religious denomination. The State is also empowered to regulate any economic, political or other secular activity associated with religious practice.

बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है।

संसद ने बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 को लागू किया है, जिसमें रोजगार, बाल श्रम, साथ ही पूर्व बाल श्रमिकों के पुनर्वास के प्रावधान के लिए नियमों को समाप्त किया गया है।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

(अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28)

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में शामिल है, भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस अधिकार का उद्देश्य भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना है। संविधान के अनुसार, सभी धर्म राज्य के समक्ष समान हैं और किसी भी धर्म को दूसरे पर वरीयता नहीं दी जाएगी। नागरिक अपनी पसंद के किसी भी धर्म का प्रचार, अभ्यास और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं।

अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और उनकी पसंद के किसी भी धर्म को प्रचार, अभ्यास और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है।यह अधिकार, हालांकि, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है, और राज्य की शक्ति समाज कल्याण और सुधार के लिए उपाय करने के लिए है। हालाँकि, प्रचार करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को परिवर्तित करने के अधिकार को शामिल नहीं

Article 27 guarantees that no person can be compelled to pay taxes for the promotion of any particular religion or religious institution.

Article 28 prohibits religious instruction in a wholly State-funded educational institution, and educational institutions receiving aid from the State cannot compel any of their members to receive religious instruction or attend religious worship without their (or their guardian's) consent.

Right to Education and Culture

(Art-29 & Art-30)

The Cultural and Educational rights, given in Articles 29 and 30, are measures to protect the rights of cultural, linguistic and religious minorities, by enabling them to conserve their heritage and protecting them against discrimination.

Article 29 grants any section of citizens having a distinct language, script culture of its own, the right to conserve and develop the same, and thus safeguards the rights of minorities by preventing the State from imposing any external culture on them. It also prohibits discrimination against any citizen for admission into any educational institutions maintained or aided by the State, on the grounds only of religion, race,

करता है, क्योंकि यह अंतरात्मा की स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन का कारण होगा।

अनुच्छेद 26 सभी धार्मिक संप्रदायों और संप्रदायों की गारंटी देता है, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन, धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने के लिए, धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए अपने स्वयं के संस्थानों की स्थापना, और स्वयं, अधिग्रहण और एक संपत्ति का प्रबंधन करना कानून के अनुसार। ये प्रावधान धार्मिक संप्रदाय से संबंधित संपत्ति हासिल करने के लिए राज्य की शक्ति से अलग नहीं हैं।

राज्य को धार्मिक अभ्यास से जुड़ी किसी भी आर्थिक, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित करने का भी अधिकार है।

अनुच्छेद 27 यह गारंटी देता है कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था के प्रचार के लिए करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 28 पूरी तरह से राज्य वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है, और राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक संस्थान अपने सदस्यों को धार्मिक निर्देश प्राप्त करने या उनकी (या उनके अभिभावक की) सहमति के बिना धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं।

शिक्षा और संस्कृति का अधिकार

caste, language or any of them. However, this is subject to reservation of a reasonable number of seats by the State for socially and educationally backward classes, as well as reservation of up to, 50 percent of seats in any educational institution run by a minority community for citizens belonging to that community.

Article 30 confers upon all religious and linguistic minorities the right to set up and administer educational institutions of their choice in order to preserve and develop their own culture, and prohibits the State, while granting aid, from discriminating against any institution on the basis of the fact that it is administered by a religious or cultural minority. The term "minority", while not defined in the Constitution, has been interpreted by the Supreme Court to mean any community which numerically forms less than 50% of the population of the state in which it seeks to avail the right under Article 30. In order to claim the right, it is essential that the educational institution must have been established as well as administered by a religious or linguistic minority. Further, the right under Article 30 can be availed of even if the educational institution established does not confine itself to the teaching of the religion or

(अनुच्छेद 29 & अनुच्छेद 30)

अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के उपाय हैं, जिससे वे अपनी विरासत का संरक्षण कर सकें और भेदभाव के खिलाफ उनकी रक्षा कर सकें।

- **अनुच्छेद 29** नागरिकों के किसी भी वर्ग को एक विशिष्ट भाषा, स्वयं की लिपि संस्कृति, उसी के संरक्षण और विकास का अधिकार देता है, और इस प्रकार राज्य पर किसी भी बाहरी संस्कृति को लागू करने से रोककर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा अनुरक्षित या सहायता प्राप्त करने के लिए किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव पर रोक लगाता है।हालांकि, यह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य द्वारा उचित संख्या में सीटों के आरक्षण के अधीन है, साथ ही साथ किसी भी शैक्षणिक संस्थान में 50 प्रतिशत तक सीटें आरक्षित हैं, जो इससे संबंधित नागरिकों के लिए अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित है। समुदाय।

अनुच्छेद 30 सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों पर अपनी संस्कृति को संरक्षित और विकसित करने के लिए अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है, और किसी भी संस्था के

language of the minority concerned, or a majority of students in that institution do not belong to such minority. This right is subject to the power of the State to impose reasonable regulations regarding educational standards, conditions of service of employees, fee structure, and the utilization of any aid granted by it.

Right to constitutional remedies: (Art-32 to art-35)

Right to constitutional remedies (Articles 32 to 35) empowers the citizens to move to a court of law in case of any denial of the fundamental rights. For instance, in case of imprisonment, any citizen can ask the court to see if it is according to the provisions of the law of the country by lodging a public interest litigation. If the court finds that it is not, the person must be freed. This procedure of asking the courts to preserve or safeguard the citizen's fundamental rights can be done in various ways. The courts can issue various kinds of writs protecting the rights of the citizens. These writs are:

- **HABEAS CORPUS**
- **MANDAMUS**
- **WRIT OF PROHIBITION**
- **QUO WARRANTO**
- **CERTIORARI**

This allows a citizen to move to court if they believe that any of their Fundamental Rights have been violated by the

आधार पर भेदभाव करने से सहायता प्रदान करते हुए राज्य को प्रतिबंधित करता है। तथ्य यह है कि यह एक धार्मिक या सांस्कृतिक अल्पसंख्यक द्वारा प्रशासित है। "अल्पसंख्यक" शब्द, जिसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या की गई है, जिसका अर्थ किसी भी समुदाय से है जो राज्य की जनसंख्या का 50% से कम हिस्सा बनाता है, जिसमें वह अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार प्राप्त करना चाहता है। अधिकार का दावा करने के लिए, यह आवश्यक है कि शैक्षणिक संस्थान की स्थापना धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा की गई होइसके अलावा, अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार का लाभ उठाया जा सकता है, भले ही स्थापित किया गया शिक्षण संस्थान संबंधित अल्पसंख्यक के धर्म या भाषा के शिक्षण तक ही सीमित न हो, या उस संस्थान के अधिकांश छात्र ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग के नहीं हैं। यह अधिकार शैक्षिक मानकों, कर्मचारियों की सेवा की शर्तों, शुल्क संरचना, और इसके द्वारा दी गई किसी भी सहायता के उपयोग के संबंध में उचित नियमों को लागू करने की राज्य की शक्ति के अधीन है।

संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35)

संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32 से 35) नागरिकों को मौलिक अधिकारों के किसी भी खंडन के मामले में कानून की अदालत में स्थानांतरित करने का अधिकार देता है। उदाहरण के लिए, कारावास के

state. Article 32 is also called the citizens right to protect and defend the constitution as it can be used by the citizens to enforce the constitution through the judiciary. Dr. B. R. Ambedkar declared the right to constitutional remedies "the heart and soul" of the Indian constitution. When a national or state emergency is declared, this right is suspended by the central government
The right to constitutional remedies is present for enforcement of fundamental rights.
The *right to privacy* is an intrinsic part of Article 21 (the Right to Freedom) that protects the life and liberty of the citizens.
The right to privacy is the newest right assured by the Supreme Court of India. It assures the people's data and personal security

Fundamental rights for Indians have also been aimed at overturning the inequalities of pre-independence social practices. Specifically, they have also been used to abolish untouchability and thus prohibit discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. They also forbid trafficking of human beings and forced labour (a crime). They also protect cultural and educational rights of religious and linguistic minorities by allowing them to

मामले में, कोई भी नागरिक अदालत से यह देखने के लिए कह सकता है कि क्या यह देश के कानून के प्रावधानों के अनुसार एक जनहित याचिका दायर करके है। यदि अदालत को पता चलता है कि यह नहीं है, तो व्यक्ति को मुक्त किया जाना चाहिए।नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संरक्षित या संरक्षित करने के लिए न्यायालयों से पूछने की यह प्रक्रिया विभिन्न तरीकों से की जा सकती है। अदालतें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के रिट जारी कर सकती हैं। ये लेखन हैं:

- **बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)**
- **परमादेश रिट (Mandamus)**
- **प्रतिषेध रिट (Writ of Prohibition)**
- **अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)**
- **उत्प्रेषण लेख (Certaiorari)**

यह एक नागरिक को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि वे मानते हैं कि उनके किसी भी मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है। अनुच्छेद 32 को नागरिकों को संविधान की रक्षा और बचाव का अधिकार भी कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग नागरिकों द्वारा न्यायपालिका के माध्यम से संविधान को लागू करने के लिए किया जा सकता है। डॉ। बी। आर। अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के "दिल और आत्मा" संवैधानिक उपचार के अधिकार की घोषणा की।जब एक राष्ट्रीय या राज्य आपातकाल

preserve their languages and also establish and administer their own education institutions. They are covered in Part III (Articles 12 to 35) of the Constitution of India.	घोषित किया जाता है, तो यह अधिकार केंद्र सरकार द्वारा निलंबित कर दिया जाता है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार मौजूद है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 (स्वतंत्रता का अधिकार) का आंतरिक हिस्सा है जो नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। निजता का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया नवीनतम अधिकार है। यह लोगों के डेटा और व्यक्तिगत सुरक्षा का आश्वासन देता है स्वतंत्रता पूर्व सामाजिक प्रथाओं की विषमताओं को दूर करने के उद्देश्य से भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का लक्ष्य रखा गया है। विशेष रूप से, उनका उपयोग अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए भी किया जाता है और इस प्रकार धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया जाता है। उन्होंने मानव की तस्करी और जबरन श्रम (एक अपराध) करने से भी मना किया। वे धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करते हैं और उन्हें अपनी भाषाओं को संरक्षित करने और अपने स्वयं के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन भी करते हैं। वे भारत के संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) में शामिल हैं ।

THANK YOU